भामाशाह योजना

भामाशाह योजना का उद्देश्य सभी राजकीय योजनाओं के नगद एवं गैर–नगद लाभ को प्रत्येक लाभार्थी को सीधा पारदर्शी रुप से पहुँचाना है।

यह योजना राशन कार्ड, पेन्शन, नरेगा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, जैसे लाभार्थियों को भी सम्मिलित करेगी।

यह योजना परिवार को आधार मानकर उनके वित्तीय समावेश के लक्ष्य को पूरा करती है, जहाँ हर परिवार को 'भामाशाह कार्ड' दिया जाएगा जो उनके बैंक खातों से जुड़े होंगे। यह बैंक खाता परिवार की मुखिया, जो कि महिला होगी, के नाम से होगा और वह ही इस खाते की राशि को परिवार के उचित उपयोग में कर सकेगी। यह कार्ड बायो–मैट्रिक पहचान सहित कोर–बैंकिंग को सुनिश्चित करता है।

इसके अन्तर्गत, प्रत्येक परिवार का सत्यापन किया जाएगा और पूरे राज्य का एक समग्र डेटाबेस बनाया जाएगा। इसके माध्यम से ड्यूप्लिकेशन को भी जाँचा व दूर किया जा सकेगा। सभी जनसांख्यिकी और सामाजिक मापदण्डों को विभिन्न विभागों द्वारा पात्रता के लिए इसमें सम्मिलित किया जाएगा।

योजना के लाभ

- महिलाओं का सशक्तिकरण एवं स्वावलम्बन को बढ़ावा
- सभी वर्गों का वित्तीय समावेश
- नगद लाभों का लाभार्थी के खाते में सीधा हस्तान्तरण
- पूर्ण पारदर्शिता के साथ, बिना किसी विलम्ब के नगद व गैर नगद सेवाएं लाभार्थी को घर बैठे उपलब्ध कराना
- घर के समीप बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
- अन्य कई योजनाओं का प्लेटफार्म
- परिवार एवं व्यक्ति विशेष की लाभार्थी योजनाएं भी शामिल

बहुउद्देशीय कार्ड

विभिन्न राजकीय लाभ भामाशाह कार्ड के ज़रिए सीधा बैंक खातों में हस्तान्तरित किये जाएंगे। यह कार्ड परिवार के सभी सदस्यों की पहचान भी स्थापित करेगा।

सेवा केन्द्र

ई–मित्र, बैंक शाखाएं एवं ए.टी.एम. के अलावा राजस्थान सम्पर्क आईटी केन्द्रों द्वारा एकीकृत सेवाएं लाभार्थी तक पहुँचाई जाएंगी। ये केन्द्र जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायतों में खोले जाएंगे और जल्द ही नगरीय क्षेत्रों में भी होंगे। लगभग 10,000 सेवा केन्द्र सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्ड्स् में स्थापित होंगे जो नगद एवं गैर नगद सेवाओं का हस्तान्तरण करेंगे।